

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-/16:16111

30 जुलाई 2018

**विषय: IS 16111:2013 की संशोधन संख्या 1 मई 2018 का अनुपालन (इलास्टिक पट्टी)**

- 1 आई एस 16111:2013 के संशोधन सं 1 को प्रकाशित किया गया है। गजेट नोटिफिकेशन सं S.O. 3410 (E) 2 जुलाई 2018 के अनुसार इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया गया है।
- 2 इस संशोधन के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है
- 3 सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी लाइसेन्स धारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वयन के बारे में सूचित करें।

(आदित्य दास)  
वैज्ञानिक सी (कें.मु.वि.-2)

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/टी एक्स डी/एलपिपिडी को intranet माध्यम से परिचालित

प्रतिलिपि:

ITS - इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए

**CENTRAL MARKS DEPARTMENT -2**

Our Ref: CMD-2/16:16111

30-July-2018

**Subject: Implementation of amendment no. 1 May 2018 to IS 16111:2013 (Elastic Bandage)**

1. Amendment no. 1 to IS 16111:2013 has been published. As per Gazette Notification No S.O. 3410 (E) dated 2 July 2018 it has been decided to implement the same with immediate effect.
2. This amendment does not necessitate any change in the existing STI.
3. All BOs are requested to inform the licensees/applicants in their jurisdiction about the above amendment.

**Aditya Das**  
Sc. C

**HCMD-2**

**Circulated to ROs/BOs/TXD/LPPD through intranet**

**Copy to: ITSD- for hosting in intranet**